



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
Office of the Auditor General

Phone : 4258174

4266034

4255707

A.G. Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

डोर मुकाम : रोल्पा

पत्र संख्या: २०७५।७६

च.नं. ३८

मिति: २०७५।५।२२

विषय: लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ।

श्री कार्यालय प्रमुख ज्यू,
प्रगादिव कार्यपालिकाको कार्यालय,
सानडाँडा, रोल्पा ।

लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ अनुसार त्यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५।७५ को विनियोजन/राजस्व/धरौटी/अन्य कारोबारको आर्थिक विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित कागजपत्र र विवरण परीक्षण गरी मिति २०७५।५।२० मा छलफल पश्चात् तयार गरिएको पाना ११(एघार) को प्रारम्भिक प्रतिवेदन यसैसाथ छ । प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोराका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १९(१) बमोजिम ३५ दिनभित्र फछ्यौट गरी सम्परीक्षण गराउनु हुनेछ । उक्त समयभित्र फछ्यौट गरी सम्परीक्षण नगराएमा वा सम्परीक्षण गराई बाँकी रहेका व्यहोराहरु समावेश गरी लेखाउत्तदायी अधिकृत/कार्यपालिका प्रमुखलाई जानकारी गराइने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।

बोधार्थ तथा कार्यार्थ:

श्री संचीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाण्डौं :- प्रतिवेदन संलग्न छ ।

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय,
लिवाड, रोल्पा : - प्रतिवेदन संलग्न छ ।

(Handwritten Signature)

(रामचन्द्र पौडेल)

निर्देशक

स्थानीय निकायको नाम: गंगादेव गाँउपालिका

| कार्यालय र स्थान: गंगादेव गाउपालिका रोल्पा, प्रदेश नम्बर ५ | पद | नाम | कार्यरत अवधि | | वेरुजू रकम |
|---|-----------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | देखि | सम्म | |
| आर्थिक वर्ष: २०७३/०७४ | प्र.प्र.अ | सुरज अर्याल | २०७४.४.१ | २०७४/६/२९ | १२३६०२९९/१०० |
| | प्र.प्र.अ | रेवत बहादुर बुढाथोकी | २०७४.७.१४ | हालसम्म | |
| | स.ले.पा | अन्नि प्रसाद लामिछाने | २०७४.४.१ | हालसम्म | |

स्थानीय संचितकोष: स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोजिम गंगादेव गाँउपालिकाले प्राप्त गरेको आय, अनुदान तथा साहायता र स्थानीय सरकार संचालन नभएका व्ययहरूको आयव्यय हिसावको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को समग्र संचित कोषको संक्षिप्त अवस्था निम्न बमोजिम रहेको छ।

| सि.नं. | आयतर्फ | | | सि.नं. | व्ययतर्फ | | |
|--------|--------------------------------|-----|--------------|--------|---------------------------|-----|--------------|
| | विवरण | रकम | रकम | | विवरण | रकम | रकम |
| १ | गत वर्षको जिम्मेवारी | | | १ | चालु खर्च | | १०३६१८०७४.३५ |
| | क) नगद | | | २ | पूँजीगत खर्च | | १०४५२११६६.०० |
| | ख) बैंक | | ९९९०३७५.५३ | ३ | वित्तीय व्यवस्था भुक्तानी | | ०.० |
| २ | राजस्व (आन्तरिक आय) | | | | क) ऋण भुक्तानी | | |
| | क) आन्तरिक राजस्व | | १६७७७७३.०० | | ख) ब्याज भुक्तानी | | |
| | ख) राजस्व बाँडफाँड | | | | ग) अन्य भुक्तानी | | |
| | ग) अन्य आय | | | ४ | लगानी | | ०.०० |
| ३ | वित्तीय हस्तान्तरण | | | | ऋण लगानी | | |
| | क) वित्तीय समानीकरण अनुदान | | १६८३३१०००.०० | | शेयर लगानी | | |
| | ख) सशर्त अनुदान | | ७१३४१०००.०० | | अन्य लगानी | | |
| | ग) समपूरक अनुदान | | | ५ | धरौटी फिर्ता | | ००.०० |
| | घ) विशेष अनुदान | | | ६ | को.ले.नि.का. फिर्ता | | ५६११२४९.२९ |
| ४ | प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान | | | ७ | मौज्दात | | |
| | क) वित्तीय समानीकरण अनुदान | | | | क) नगद मौज्दात | | |
| | ख) सशर्त अनुदान | | | | ख) बैंक मौज्दात ग ४.१ | | ६०६६१७८८.८९ |
| | ग) समपूरक अनुदान | | | | ग) बैंक मौज्दात ग २.१ | | |
| | घ) विशेष अनुदान | | | | घ) बैंक मौज्दात ग २.२ | | |
| ५ | अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त | | ०.०० | | ड) धरौटी बाँकी | | |
| ६ | वित्तीय व्यवस्था प्राप्ति | | ०.०० | | | | |
| | क) ऋण प्राप्ति | | | | | | |
| | ख) साँवा प्राप्ति | | | | | | |
| | ग) ब्याज प्राप्ति | | | | | | |
| | घ) अन्य प्राप्ति | | | | | | |
| ६ | विभिन्न कोषतर्फको आय | | ०.०० | | | | |
| ८ | जनसहभागिता (नगद) | | ०.०० | | | | |
| ९ | विषयगत निकायबाट प्राप्त रकम | | २५९४४०००.०० | | | | |
| १० | धरौटी आय | | १०५०००.०० | | | | |
| ११ | लगानीको साँवा फिर्ता | | ०.०० | | | | |
| १२ | अन्य विविध आय | | १८२३१३०.०० | | | | |
| | जम्मा | | २७४४१२२७८.५३ | | जम्मा | | २७४४१२२७८.५३ |

कोषको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका गल्तीहरूको निम्नानुसार रहेका छन् :

भौ.नं.मिति। व्यहोरा

| दफा नं. | वेरजु रकम रु. | फछ्याँटको विवरण |
|---------|---------------|---|
| | | <p>परिचय: स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न र स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने गंगादेव गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने हरेक कार्यमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई लाभको वितरणमा सुलभ र गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्नु हो । यो गाउँपालिका अर्न्तगत ७ वडा रहेको ३९ सभा सदस्य १२४.३८ व.की.मी. क्षेत्रफल, २३८७१ जनसंख्या प्रदेश नम्बर ५ मा अवस्थित छ । सविक सुकिकदह नामकरण भएको यो गाउँपालिका हाल गंगादेव गाउँपालिका भएको छ ।</p> |
| १. | | <p>आन्तरिक लेखापरीक्षण : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(२) मा स्थानीय तहले कानून बमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरे गराएको छैन । कानून बमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्दछ ।</p> |
| २. | | <p>आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ मा गाउँपालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अन्य नियमहरू अनुसार आन्तरिक नियन्त्रणका क्रियाकलाप संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षणबाट यस सम्बन्धमा निम्न व्यहोराहरू देखिएका छन् :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ आन्तरिक आम्दानीमा नगदी रसिद प्रयोग गरेकोमा नगदी रसिद नियन्त्रण खाता नराखेको, ➤ वार्षिक लक्ष्य प्रगति विवरण तयार नगरेको, ➤ आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ९१ अनुसारको वार्षिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन तयार नगरेको, ➤ सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली, २०६५ बमोजिम तालुक कार्यालयले निरीक्षण गरेको नदेखिएको, ➤ भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २१ अनुसार भ्रमणबाट फर्केपछि भ्रमण प्रतिवेदन दिने नगरेको, ➤ प्राप्त सामान तथा निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण नगरेको, ➤ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १९ तथा नियमावली, २०५३ को नियम बमोजिम म.अ.कर भुक्तानी लिने व्यक्ति तथा फर्महरूले कर दाखिला गरेको सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धित कर कार्यालयमा मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी गरेको जानकारी नपठाएको । ➤ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४ अनुसार कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने मालसामान, निर्माण कार्य, तथा परामर्श सेवाको विवरण तयार गर्नुपर्ने, दफा ६ अनुसार खरिद योजना तयार गरेर मात्र खरिद कार्य गर्नु पर्नेमा खरिद योजना तयार नगरेको, ➤ स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका अनुसार औषधिको लागत अनुमान तयार गर्दा WHO GMP Certified Company वाट उत्पादित औषधिहरूको खुद्रा मूल्यमा १५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा नघटाई तयार गर्ने गरेको, ➤ कार्यालयको अभिलेख प्रणालीलाई समयवद्ध बनाउन वित्तीय सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा उपयोग नगरेको । |

| | | |
|----|--|-----------|
| ३. | <p>सेवा प्रवाह : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्वन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ समेतबाट सेवा प्रवाह सदृढ, पारदर्शी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिका र मातहतका निकायमा ३२ दरबन्दी रहेकोमा २५ को पदपूर्ति नभएको, सेवा संचालनमा विद्युतीय माध्यमको पूर्ण उपयोग नभएको, नागरिक वडापत्र नरहेको, पेशकी फछ्यौट समयमै हुन नसकेको, टोकन प्रणाली लागू नगरेको जस्ता कमी कमजोरीहरु देखिएका छन्। उल्लिखित कमजोरीलाई संबोधन गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ।</p> | |
| ४. | <p>बैंक हिसाब - कार्यालयको खाता हिसाव र बैंक हिसाव एक आपसमा भिडान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिका खर्च खाताको आर्थिक विवरण अनुसार यसवर्षको वित्तीय समानीकरण तर्फ आम्दानी रु.१६८३३१०००।०० र खर्च रु.१२४१८२४९६४ भई मौज्जात रु.४४१४८७५०।३६ बाँकी रहेको छ। गाउँपालिकाको समानीकरण अनुदान तर्फको खर्च खाता अनुसार मौज्जात बाँकी रु.४४३०८७५०।३६ देखिएको र सोही रकम वर्षान्तमा स्थानीय तहको सञ्चितकोष खातामा जम्मा गरिएको छ। यसरी सेस्ता र बैंक खातामा रहेको बाँकी बीच रु.१६००००।०० फरक परेको छ। कार्यालयले बैंक हिसाब मिलान तयार नगरेकोले फरक पर्नाको कारण पहिचान गरी हिसाब मिलान रु.....</p> | १६००००।०० |
| ५. | <p>लक्ष्य प्रगतिको स्थिति - आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २४ मा चौमासिक प्रगती विवरण पेश गर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले सञ्चालन गरेका जिल्ला स्तरिय तथा केन्द्रिय स्तरिय आयोजनामध्ये सबै आयोजनाको उपर्युक्त नियम बमोजिम अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा प्रगती विवरण दिएको देखिएन। लक्ष्य प्रगति विवरण तयार गर्नुपर्दछ।</p> | |
| ६. | <p>चौमासिक खर्च: आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजि स्विकृत भएको कार्यक्रममा नियम २५ बमोजिम चौमासिक प्रगति विवरण बनाई पेश गर्नुपर्ने र चौमासिक कार्यलक्ष्य तथा कर्माक्रम बमोजिम कार्यसम्पादन सम्पन्न गरी कर्माक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार कुल पूँजीगत खर्च रु.८५६२५२४९।०० मध्ये आषाढमा मात्र रु.३४४७२५०६।०० खर्च गरेको देखिएको छ। यसरी आषाढ मसान्तमा मात्र ४० प्रतिशत खर्च देखिनुले आषाढमा आएर खर्चको चाप बढेको देखिएकोले सन्तुलित खर्च भएको देखिएन। सरकारी खर्च प्रभावकारी बनाउन योजना बनाई सन्तुलित खर्च गर्नुपर्छ।</p> | |
| ७. | <p>राजस्व अभिलेख : आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १२ र १३ ले राजस्वको अभिलेख अध्यावधिक गरी सोको लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय तहहरुबाट लेखापरीक्षणको क्रममा राजस्व आम्दानीको निर्णय देखि असुली तथा दाखिला सम्मका अभिलेख व्यवस्थित गरी श्रेस्ता राखेको छैन। यसबाट स्थानीय तहको वास्तविक राजस्व असुली र दाखिला एकिन हुन गर्न सकिने। कार्यालयले यसमा विशेष ध्यान दिई आन्तरिक आयको उचित अभिलेखाङ्कन तथा परिचालन गर्नुपर्दछ।</p> | |
| ८. | <p>सम्पति हस्तान्तरण : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १७,१८ र १०४ अनुसार विषयगत कार्यालयको चल अचल सम्पति, दायित्व तथा अभिलेख त्यसरी कायम भएका गाउँपालिकामा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ। यसरी हस्तान्तरण हुने सम्पूर्ण सम्पतिको अभिलेख तथा जिन्सी लागत खाता २०७५ असार मसान्त भित्र स्थानीय तहले तयार गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा गाउँपालिकाले सम्पतिको अभिलेख तथा जिन्सी लागत व्यवस्थित रुपमा तयार नगरेको, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर र अन्य फर्निचर जस्ता मूल्यवान समानहरु जिम्मेवारी सार्ने गरेको पाइएन। जिन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा जिन्सी मालसामानहरु हराउन, हिनामिना हुन सक्ने हुँदा खरिद गरिएका मालसामानहरुको प्रकृति अनुसार सम्वन्धित जिन्सी खातामा आम्दानी जनाई जिन्सी खाता अद्यावधिक गर्नुपर्दछ।</p> | |

| १०. | <p>बरबुभारथ : मन्त्रालयको मिति २०७३।२।२५ को आर्थिक कारोबार तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको परिपत्रको दफा १७ बमोजिम गाउँपालिकामा समाहित भएका साविकका पाँच गाउँ विकास समितिको नाममा रहेको पेशकी तथा बरुजु अभिलेख समायोजन भएको गाउँपालिकामा कायम गरी नियमानुसार पेशकी फछ्यौट तथा बरुजु सम्परीक्षण कार्य गर्नुपर्नेमा यस गाउँपालिकामा समाहित भएका साविकका विषयगत कार्यालयको बरुजु लागत तथा सम्परीक्षणको अभिलेख गाउँपालिकाले एकिन गरी अध्यावधिक नगरेकोले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------|--------------|--------|-----|----|---------------|------------------|----------|--|--|
| १०. | <p>आन्तरिक आय : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा स्थानीय कर सेवा शुल्क तथा दस्तुर, सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, पयंटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसायी कर, मनोरन्जन कर लगाई आन्तरिक स्रोतलाई मजवुत बनाउनु पर्ने उल्लेख छ । गाउँपालिकाले कुल बजेट २३९६२००।०० रहेकोमा आन्तरिक स्रोत वापत रु.५ लाख १० हजार कुल बजेटको (०.२१ प्रतिशत) परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मालपोत रजिस्ट्रेसनबाट १२७७७३१०० र अन्य सेवा शुल्क दस्तुरबाट रु.४००२९३१०० लक्ष्यको तुलनामा (३०० प्रतिशत) प्रगति भएको छ । राजस्वको स्रोत र दायरा सम्बन्धमा अध्ययन गरी आन्तरिक आयलाई थप मजवुत बनाउन राजस्व परिचालनमा थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।</p> | | | | | | | | | | |
| ११. | <p>गुणस्तर परिक्षण: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५(१) अनुसार सार्वजनिक निकायले आपूर्ति गरेका मालसामान सम्भौतामा उल्लेखित प्राविधिक स्पेशिफिकेसन र गुणस्तर बमोजिम भए नभएको निरीक्षण वा परीक्षण गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले खरिद गरेको मेशिन उपकरण तथा अन्य सामग्रीको स्पेशिफिकेसन र गुणस्तर परिक्षण गरेको देखिएन । वढी लागत पर्ने र टिकाउ समानको लागत अनुमान बमोजिमको गुणस्तरमा खरिद भएको सुनिश्चित हुन दक्ष प्राविधिकबाट गुणस्तर परिक्षण गर्नु व्यवस्था हुनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | |
| १२. | <p>कारोवारको लेखा : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ तथा ८० मा आर्थिक कारोवारको लेखा राख्नुपर्ने तथा सूचना प्राविधिकको प्रयोग गर्नुपर्ने र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराई सवै गाँउपालिका तथा नगरपालिकाहरूले Sub National Treasury Regulatory Application (SuTRA) प्रयोग गरी लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले सफ्टवेयर प्रयोग गरी श्रेस्ता राखेको देखिएन । कारोवारको लेखा विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउनु पर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | |
| १३. | <p>वित्तिय समानिकरण(चालु) तर्फ : तलबी प्रतिबेदन : निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ बमोजिम स्थानीय तह अर्न्तगतका कर्मचारीहरूको बाषिक तलबी प्रतिबेदन आन्तरीक लेखापरीक्षकबाट पारित गराई तलब खर्च लेख्नुपर्नेमा कार्यालयले प्रशासन तर्फका कर्मचारीको तलब रु.३८७०१६५/- खर्च लेखेकोमा तलबी प्रतिबेदन पारित गरेको छैन । तलबी प्रतिबेदन पारित नगरी तलब ग्रेड र स्थानिय भत्ता भुक्तानी दिदा कर्मचारीहरूले पाउनु पर्ने ग्रेड र स्थानीय भत्ता एकिन हुन नसकेकोले तलबी प्रतिबेदन पारित गरेर मात्र तलब खर्च लेख्नुपर्ने र.....</p> | | ३८७०१६५.०० | | | | | | | | |
| १४. | <p>बील भरपाई : अर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ मा कुनै रकमको भुक्तानी गर्दा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले निम्न व्यक्तिहरूलाई भुक्तानी दिएको रकमको आवश्यक वील भरपाई काराजात पेश नगरेकोले असुल गर्नुपर्ने र.....</p> | | ७२७८९१.०० | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क.स</th> <th>भौ.नं र मिति</th> <th>नाम थर</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२.</td> <td>१३४,२०७५।१।१९</td> <td>विर वहादुर घर्ति</td> <td>३१३५०।००</td> </tr> </tbody> </table> | क.स | भौ.नं र मिति | नाम थर | रकम | २. | १३४,२०७५।१।१९ | विर वहादुर घर्ति | ३१३५०।०० | | |
| क.स | भौ.नं र मिति | नाम थर | रकम | | | | | | | | |
| २. | १३४,२०७५।१।१९ | विर वहादुर घर्ति | ३१३५०।०० | | | | | | | | |

| | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="159 571 199 1041">३.</td> <td data-bbox="199 571 239 1041">१६७,२०७५।३।७</td> <td data-bbox="239 571 279 1041">युवराज डाँगी</td> <td data-bbox="279 571 319 1041">४१४३१।००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>७२७८१।००</td> </tr> </table> | ३. | १६७,२०७५।३।७ | युवराज डाँगी | ४१४३१।०० | | | जम्मा | ७२७८१।०० | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------------|--------------|--------------|--------------------|---------|--------------|----------|-----------------------------------|---------|---------|-------|----------|----|-----------------------------|---------|---------|-------|---------|----------|--|
| ३. | १६७,२०७५।३।७ | युवराज डाँगी | ४१४३१।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | जम्मा | ७२७८१।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५. | <p>वढी भुक्तानी : (गो भौ नं.२१२, २०७५।३।२७) अर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ मा सरकारी रकम खर्च सम्बन्धमा व्यवस्था छ । गाउँपालिका स्थित वडा कार्यालयका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरुलाई बैठक भत्ता रु २०१६००।०० भुक्तानी दिनुपर्नेमा रु २०८८००।०० भुक्तानी दिएकोले वढी भुक्तानी दिएको रकम असुल गर्नुपर्ने रु...</p> | | ७२००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १६. | <p>शिक्षा, युवा तथा खेलकुद तर्फ : गाउँपालिकाले शिक्षकहरुको दरवन्दी, अवकाश, मृत्यु र सरुवा भएका शिक्षकहरुको अन्धावधिक गरी लगत किताव खडा गरी नराखेकोले कार्यरत शिक्षकहरुको संख्या एकिन हुन सकेको छैन । विद्यालयले माग फाराम गरेको संख्याको आधारमा गाउँपालिकाले निकासो दिएको छ । गाउँपालिकामा रहेका सबै विद्यालयहरुको शिक्षक दरवन्दी एकिन गरेर मात्र गाउँपालिकाले निकासो दिने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १७. | <p>वढी ग्रेड : शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था गरे अनुरूप प्रत्येक शिक्षकको पाउने तलव तथा ग्रेड सम्बन्धमा तवली प्रतिवेदन पास गरी यकिन गर्ने र सोही तलवी प्रतिवेदनमा तोकिए वमोजिम तलव तथा ग्रेड भुक्तानी दिनुपर्दछ । गाउँपालिकाले विद्यालयहरुमा निम्न शिक्षकहरुलाई पहिलो चौमासीक तलव भत्ता भुक्तानी दिदा ग्रेड रकम वढी भुक्तानी गएकोले नियमानुसार असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु.....</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स</th> <th>पद र नाम</th> <th>ग्रेड रकम</th> <th>भुक्तानी ग्रेड रकम</th> <th>चौमासीक</th> <th>वढी भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१.</td> <td>मा.वि तृतीय भूपेन्द्र कुमार भन्ना</td> <td>११४१.००</td> <td>४०६८.००</td> <td>पहिलो</td> <td>११७०८.००</td> </tr> <tr> <td>२.</td> <td>प्रा. तृतीय गणेश बहादुर बली</td> <td>१५६६.००</td> <td>२२१७.००</td> <td>पहिलो</td> <td>२६०४.००</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.स | पद र नाम | ग्रेड रकम | भुक्तानी ग्रेड रकम | चौमासीक | वढी भुक्तानी | १. | मा.वि तृतीय भूपेन्द्र कुमार भन्ना | ११४१.०० | ४०६८.०० | पहिलो | ११७०८.०० | २. | प्रा. तृतीय गणेश बहादुर बली | १५६६.०० | २२१७.०० | पहिलो | २६०४.०० | १४३१२.०० | |
| क्र.स | पद र नाम | ग्रेड रकम | भुक्तानी ग्रेड रकम | चौमासीक | वढी भुक्तानी | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १. | मा.वि तृतीय भूपेन्द्र कुमार भन्ना | ११४१.०० | ४०६८.०० | पहिलो | ११७०८.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २. | प्रा. तृतीय गणेश बहादुर बली | १५६६.०० | २२१७.०० | पहिलो | २६०४.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १८. | <p>सामाजिक सुरक्षा तर्फ : गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण संकलन गरी लगत किताव अन्धावधिक गरी राख्नुपर्दछ र सोहि लगत कितावलाई आधार मानेर वडा कार्यालयहरुलाई निकासो दिनु पर्दछ । गाउँपालिकाले लगत किताव अन्धावधिक नगरी वा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको संख्या एकिन नगरी वडा कार्यालयलाई निकासो दिएको छ । गाउँपालिकालाई यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न रु.२,०७,२८,०००। बजेट विनियोजन भएकोमा रु.२,०६,८७,२००।०० सम्बन्धित वडा कार्यालयका सचिवहरुबाट भर्पाई गरी वितरण गरिएको छ । संख्या एकिन नगरी निकासो दिदा यथार्थ लाभग्राहीहरु पहिचान हुन नसक्ने भएकोले गाउँपालिकाले लगत संकलन गरेर मात्र निकासो दिने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १९.१ | <p>सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न गंगादेव गाउँपालिकालाई रु २०६८७२००।०० निकासो भएकोमा रु २०६३०४००।०० वितरण गरेको भर्पाई पेश भएकोले बाँकी रहेको रु.५६,८००।०० गाउँपालिकाको संचित खातामा जम्मा गरेको छ । उक्त रकम राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने रु.....</p> | | ५६८००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २०. | <p>कटेन्जेन्सी तर्फ : वढी भुक्तानी : अर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ मा कुनै रकम भुक्तानी गर्दा रित पुगे वा नपुगेको जाँच गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले विभिन्न सामानहरु खरीद गर्दा विलमा तोकिएको रकम भन्दा वढी भुक्तानी दिएकोले</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने रु.... | विवरण | | | | भुक्तानी दिनुपर्ने | भुक्तानी दिएको | बढी भुक्तानी | ५५०२०.०० |
|---------------------------------|--|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------|
| | क.स | भौ.नं र मिति | विवरण | भुक्तानी दिनुपर्ने | | | | |
| २१. | | | विभिन्न सामानहरु खरिद | ३३२२०.० | ५०६५५.० | | | |
| | | | विभिन्न सामानहरु खरिद | ५०५००.० | ७३३५.०० | | | |
| | | | जम्मा | | ५५०२० | | | |
| | वित्तीय समानिकरण(पूजिगत तर्फ) : | | | | | | | |
| | विलभर्पई नभएको : (भौ. नं. १०२, २०७५।३।१) अर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ मा भुक्तानी गर्दा रित्त पुरो वा नपुरोको जाँच गरि भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पूर्ण खोप घोषणा कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाको वडा नं. ४ मा पूर्ण खोप कार्यक्रम संचालन गर्दा कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरुको विवरण सहित, कार्यक्रम संचालन गरेको प्रमाणीत देखिने कागजात पेश गर्नुपर्ने रु... | | | | | | | |
| २२. | दोहोरो निकास (भौ.नं.१०६, २०७५।३।१) : गाउँपालिकाले भुक्तानी गर्दा रित्त पुरो वा नपुरोको जाँच गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्दछ । गाउँपालिकाले पृथ्वी नारायण माध्यमिक विद्यालय जयाचौरलाई फिर्लाइ निर्माण योजना कार्यक्रम अन्तर्गत रकम निकास दिदा एउटै कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन,छलफलको माइन्ट र मूल्याङ्कनको आधारमा एकै प्रकृतिको कार्यक्रममा दोहोरो निकास दिएकोले कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने रु..... | | | | | | | |
| २३. | वढी भुक्तानी (भौ.न. ४ मिति २०७५।३।२७) : साविकको राक गा.वि.स. ओखरबोटको भो.पु. उपभोक्ता समितिबाट कार्य सम्पन्न भएकोमा प्राविधिकको मूल्यांकनको आधारमा कार्य सम्पन्नमा रु.१६२३९६।०० मात्र कार्य भएकोमा रु.१६६०००।०० भुक्तानी दिएकोले वढी भुक्तानी रु.६६०४।०० असुल गर्नुपर्ने | | | | | | | |
| २४. | दुवानी कर : (९८, २०७५।३।१) आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ अनुसार रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको १० प्रतिशतका दरले बहाल कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरस्वती आधारभूत विद्यालय मर्मत गर्नको लागि विभिन्न सामानहरु दुवानी गरे वापत दिपेन्द्र के.सी. ले दुवानी भाडा भुक्तानी दिएको रु ४०,०००।०० को नियमानुसार दुवानी भाडा कट्टि गरी राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने रु..... | | | | | | | |
| २५. | बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम : संघीय प्रणालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशन २०७४ अनुसार बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा पशु स्वास्थ्य सिविर,पशुपक्षिलाई खोप लगाउने, पशुचरणको निम्ति घासको विउ व्रीतरण गर्ने,फार्मको स्थापना,दूधवाट विभिन्न परिकार बनाउने , बालकल्ब गठनगर्ने ,स्कुलमा दिबा खाजाको व्यवस्था गर्ने करेसावारी लगाउने, भ्यक्सीन लगाउने तथा आइरन चक्की खुवाउने जस्ता गर्भअवस्थामा रहेका महिलाहरु र नवजातशिशुहरुको लागि पौष्टिक आहाराको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा बहुक्षेत्रीय पोषण सम्बन्धी कुल वजेट रु.१९६००० मध्ये रु.७९९५०० तपसिल वमोजिमको तालिम, गोष्ठी र अनुगमन तथा भ्रमण शीर्षकमा खर्च भएको देखिन्छ। यसरी लक्षित वगले प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्ने कार्यक्रममा भन्दा वढीमात्रामा सेवा प्रदायकलाई फाइदा पुरने कार्यक्रममा जोड दिएको देखिएकोले यस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। | | | | | | | |
| | भौ.न. | मिति | खर्च शीर्षक | खर्च रकम | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|----------|------------|--------|------------------|-----------|-------|--------|----------------|-----------|-------|--------|---|-----------|-------|-------|---|------------|-------------|--------|---|------------|------------|-------|--|--|--|--------|--|
| | <table border="1"> <tr> <td>२</td> <td>२०७५।२।२</td> <td>वैठक भत्ता</td> <td>१२६५००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>२०७५।२।२०</td> <td>तालिम</td> <td>९६०००</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>२०७५।३।१२</td> <td>तालिम</td> <td>७२०००</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>२०७५।३।१९</td> <td>तालिम</td> <td>६००००</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>२०७५।०३।२२</td> <td>दैन.भ.भत्ता</td> <td>३९७०००</td> </tr> <tr> <td>९</td> <td>२०७५।०३।२४</td> <td>वैठक भत्ता</td> <td>४००००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>७९१५००</td> </tr> </table> | २ | २०७५।२।२ | वैठक भत्ता | १२६५०० | ३ | २०७५।२।२० | तालिम | ९६००० | ६ | २०७५।३।१२ | तालिम | ७२००० | ७ | २०७५।३।१९ | तालिम | ६०००० | ८ | २०७५।०३।२२ | दैन.भ.भत्ता | ३९७००० | ९ | २०७५।०३।२४ | वैठक भत्ता | ४०००० | | | | ७९१५०० | |
| २ | २०७५।२।२ | वैठक भत्ता | १२६५०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | २०७५।२।२० | तालिम | ९६००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | २०७५।३।१२ | तालिम | ७२००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | २०७५।३।१९ | तालिम | ६०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | २०७५।०३।२२ | दैन.भ.भत्ता | ३९७००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९ | २०७५।०३।२४ | वैठक भत्ता | ४०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ७९१५०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६. | <p>भरपाई (शौ.ने.२ मिति २०७५।३।३) : अर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ मा कुनै रकम भुक्तानी गर्दा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पश्चिम नेपाल खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रमको खानेपानी योजना मर्मत खर्च रु ३००००।०० मध्ये रु.११८८००।०० को पाईप ओलिड भनि जगधनि घर्तिमगर भर्पाई गरी बुझाएको देखाएपनि वास्तविक पाइप ओलिड खर्च रु.१८८००।०० मात्र भएकोले वही खर्च लेखेको रु.१००००।०० असुल गर्नुपर्ने रु.....</p> | १०००००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २७. | <p>विरुवा वितरण (शौ.न.११ मिति २०७५।०३।१८) : गाउँपालिकाले विरुवा वितरणको लागि रु १२८४०० को विरुवा खरिद गरेको छ । गाउँपालिकाले एकै प्रकृतिको विरुवा वितरण कार्यक्रम संचालन गर्ने तर उक्त विरुवा वितरणबाट किसानले लाभ लिए नलिएको, अनुदानमा वितरण भएका विरुवाको अवस्था त्यसैले उत्पादनमा दिएको योगदान लगायत पक्षलाई ध्यान दिई अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने गरेको देखिएन । विरुवा वितरणमा गरिने खर्चकै आधारमा मात्र उक्त खर्चको औचित्य पुष्टी नहुने हुँदा निरन्तर अनुगमन गरी अनुदानको प्रभावकारी सदुपयोगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका केही उदाहरण निम्न छन् ।</p> <table border="1"> <tr> <td>विरुवाको जात</td> <td>परिमाण</td> <td>दर</td> <td>जम्मा</td> </tr> <tr> <td>सुन्तलाको विरुवा</td> <td>७७००</td> <td>२०</td> <td>१५४०००</td> </tr> <tr> <td>कागतीको विरुवा</td> <td>६५००</td> <td>२०</td> <td>१३००००</td> </tr> </table> | विरुवाको जात | परिमाण | दर | जम्मा | सुन्तलाको विरुवा | ७७०० | २० | १५४००० | कागतीको विरुवा | ६५०० | २० | १३०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| विरुवाको जात | परिमाण | दर | जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सुन्तलाको विरुवा | ७७०० | २० | १५४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कागतीको विरुवा | ६५०० | २० | १३०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २८. | <p>उपभोक्ता अंश : सार्वजनिक खरिद नियमावली नियम ९७(३) मा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउंदा सार्वजनिक निकाय र उपभोक्ता समिति बीच सम्झौत गर्नुपर्ने र त्यस्तो सम्झौतामा उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायले गर्नुपर्ने योगदान यकिन गर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले मोटरबाटोहरू निर्माणमा उपभोक्ता समिति संग सम्झौता गर्दा २० प्रतिशत सम्म उपभोक्ताबाट व्यहोनी गरी सम्झौता भएको छ । सोही नियमको उपनियम ११ बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि निकायले खटाएको प्राविधिकबाट त्यस्तो कामको जाँचपास गराई निकायबाट प्राप्त रकम र जनसाहभागिताबाट व्यहोरिएको श्रम, नगद वा जिन्सी समेत कुल खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकामा पेश भएको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा लागत अनुमान भन्दा कम परिमाणमा कार्य सम्पन्न भएकोमा सोही बमोजिम अनुदान रकम र उपभोक्ताको योगदान रकमबीच समायोजन गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सम्झौतामा भन्दा उपभोक्ताको योगदान प्रतिशतमा घटीहुने गरी भुक्तानी दिएको रु.१५८०६३०।०० सम्बन्धित प्राविधिकलाई जिम्मेवार ठहराई असुल गर्नुपर्ने रु.....</p> | १५८०६३०.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| भौ. नं. मिति | योजना/उपभोक्ता समितिको नाम | कार्यसम्पादन रकम | २० प्रतिशतले हुने उपभोक्ताको योगदान | भूक्तानी योग्य रकम | भूक्तानी भएको रकम | बढी भूक्तानी |
|---------------|--|------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| ८४/०७५.२.२० | पोखरा वजार जनता आधारभूत विवाड चौर विद्यालय | ८६५९८५ | १७३१९७ | ६९२७८८ | ८०००० | १०७२१२ |
| ८६/०७५.२.२१ | मावि घुम्तेजुडा फिल्ड निर्माण | ५९८८६० | ११९७७२ | ४७९०८८ | ५५००० | ७०९१२ |
| ८५/०७५/०२/२० | घरतिर स्कुल डाडागाउँ मोटर बाटो | १५९३३७४ | ३१८६७४.८ | १२७४६९९.२ | १६८९८३८ | ४१५१३९ |
| ८७/०७५/२/२१ | चाकलेपाताला माथा गाउँ रातामाटा | ६१२४४५ | १२२४८९ | ४८९९५६ | ५०००० | १००४४ |
| २११/०७५/३/२५ | खोयोखोला खतेरी चाकले पातल | १०८४७४८ | २१६९४९.६ | ८६७९८.४ | ९६००० | ९२२०१.६ |
| १७२/०७५/०३/१९ | दहवाड खानीखोला मो.वा. | ८४६२०५ | १६९२४१ | ६७६९६४ | ७६८०० | ९१०३६ |
| २०८/०७५/३/२८ | दहवाड फरमखोला गजले रातामाटा मो.वा. | ८६६०९४ | १७३२१८.८ | ६९२८७५.२ | ७५६६०० | ६३७२४.८ |
| १०९/०७५/३/०१ | मलेखोला दलसिडे मो.वा. वडा नं ६ | ९४५७४५ | १८९१४९ | ७५६५९६ | ८१६७४५ | ६०१४९ |
| ११४/०७५/०३/०३ | जायचौर लाखरीचौर फुलवास मो.वा. | १५८९५१९ | ३१७९०३.८ | १२७१६१५.२ | १४४००० | १६८३८५ |
| ८०/०७५/२/२० | ढोपारी डाँडा वाफु जितेमारे स्यालाखोला मो.वा. | ११५७९३६ | २३१५८७.२ | ९२६३८८.८ | ९६००० | ३३६५१.२ |
| ८३/०७५/०२/२० | ओता खाती गाउँ राडजी वाड सुखावडा मो.वा. | २६७८२७४ | ५३५६५४.८ | २१४२६१९.२ | २६१०७९५ | ४६८१७६ |
| | जम्मा | | | | | १५८०६३०.६ |

सवारी साधन खरिद - (६, २०७४/११/१५) गंगादेव गाउँपालिकाले एकल बोर्डको निर्णयबाट ब्याकहो लोडर खरिद गरेको देखिन्छ । २०७४/१८/२३ मा सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेर आई.एम.ई.अटोमोटिभ्स काठमाण्डौवाट फागुन १५, २०७४ मा रु.३९,००,०००/०० मा खरिद गरेकोमा उक्त लोडर वैशाखबाट मात्र संचालनमा आएको देखिन्छ । गाउँपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा लोडर खरिद गरेपनि सबै मोटरबाटो निर्माणको जिम्मा उपभोक्तालाई लिएको र उक्त आ.व.मा कुनै आयोजनामा पनि लोडर उपयोग भएको देखिएन । लोडरको उपयोग नभएकोले गाउँपालिकाले यसको पूर्ण उपयोग गरी आन्तरिक आय बढाउनुपर्छ ।

२९.

पेशकी तर्फ : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ७९ अनुसार पेशकी फछ्यौट हुनुपर्दछ । गंगादेव गाउँपालिका निम्न व्यक्तिलाई पेशकी दिएको रकम हालसम्म फछ्यौट नभएकोले नियमानुसार फछ्यौट गर्नुपर्ने रु...

| | | | | | |
|-----|------------------|---------|------------------------------------|--------------------|-----------|
| क.स | पेशकी लिएको मिति | आ.व | पेशकी लिने व्यक्ति, फर्म वा संस्था | विवरण | रकम |
| १ | ०७४.९.१९ | ०७४/०७४ | सि.अ.हे.व.सकल देव यादव | नि.शुल्क औषधी खरिद | २९००००.०० |

३१. **बेरुजू फछ्यौटको स्थिति :** आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ९८(२) बमोजिम अन्तिम लेखापरीक्षणबाट कायम भएको बेरुजू असूल फछ्यौट गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयबाट प्राप्त सक्षिप्त आर्थिक वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्मको म.ले.प. को बेरुजू बाँकी रु.३,३१,७६,६२४।३६ देखिएको छ । जसमध्ये पेशिक रु.३,२८,९६,२४९।३६ रहेकोमा लेखापरीक्षणको क्रममा सम्परीक्षणको लागि पेशिक बेरुजू रु.२,७९,५६,४६२।३६ र अन्य रु.२,६६,२५७।०० गरी जम्मा रु.२,७४,२२,७९।३६ अनुरोध गरेकोमा उक्त रकम सम्परीक्षण गरीएको छ । बाँकी बेरुजू रु.५७५३९०५।०० सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार समयमै फछ्यौट गर्नेपर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

| क.स | आ.व | बेरुजू दफा नं | बेरुजूको व्यहोरा | फछ्यौटको | रकम |
|-----|---------|---------------|------------------|------------------|------------|
| १ | ०७३/०७४ | ९.१ | अग्रिम आयकर | बैंक दाखिला | ३१४५।०० |
| २ | ०७३/०७४ | १०.१ | अग्रिम आयकर | बैंक दाखिला | ३१८।०० |
| ३ | ०७३/०७४ | ९.२ | पारिश्रमिक कर | कर दाखिला प्रमाण | ११४८८०।०० |
| ४ | ०७३/०७४ | १०.२ | पारिश्रमिक कर | बैंक दाखिला | १५८८२।०० |
| ५ | ०७३/०७४ | ११.१ | अग्रिम आयकर | बैंक दाखिला | २८४९।०० |
| ६ | ०७३/०७४ | ११.२ | पारिश्रमिक कर | कर दाखिला प्रमाण | १०५८८०।०० |
| ७ | ०७३/०७४ | १२.१ | अग्रिम आयकर | बैंक दाखिला | २०५०३।०० |
| | | | असुली जम्मा | | २६६२५७।०० |
| १ | ०७३/०७४ | ८ | पेशिक बेरुजू | प्रमाण पेश | ६३११३२४।८३ |
| २ | ०७३/०७४ | ८ | पेशिक बेरुजू | प्रमाण पेश | ७३९१०६९।३३ |
| ३ | ०७३/०७४ | ८ | पेशिक बेरुजू | प्रमाण पेश | १२२००।०० |
| ४ | ०७३/०७४ | ८ | पेशिक बेरुजू | प्रमाण पेश | ५४२८४६०।२० |
| ५ | ०७३/०७४ | ८ | पेशिक बेरुजू | प्रमाण पेश | ७६६४३३४।०० |
| ५ | ०७३/०७४ | ८ | पेशिक बेरुजू | प्रमाण पेश | २२८८७४।०० |
| ७ | ०७३/०७४ | ८ | पेशिक बेरुजू | बैंक दाखिला | १०४००।०० |
| | | | पेशकी जम्मा | | २७५६४६२।३६ |

| | | | | | | |
|-----|---|------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| ३२. | <p>पेशिक असुल : गाउँपालिकाले सम्परीक्षण पेश गरी बाँकी रहेको पेशकी जम्मा रु.५७३९७८.७०० मध्ये दफा नम्बर ३३ मा वरजु कायम गरिएको रु.२९५१५० घटाउँदा रु.५४४४६३७ पेशिक बाँकी हुनुपर्नेमा कार्यालयले आ.व.२०७३।७४ को पेशिक बाँकी भनी रु.४४९४९७२।०० (पेशिकको नाम नामेसी दफा ३३ खुलाएको) मात्र विवरण पेश गरेको ले नपुग पेशिक रु.१०३०४६५।०० सम्बन्धमा छानविन गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रु.....</p> | | | | १०३०४६५.०० | |
| ३३. | <p>गंगादेव गाउँपालिका वडा नं.६।७ (साविक राँक गाविस वडा नं. ७) को खाता नं.०७६००१०६३६३५६००००७ मा पेशिक बाँकी भनी देखाएको रकम साविकको गा.वि.स. खाता बन्द भएपनि हाल सम्म गाउँ पालिको सञ्चितकोषमा दाखिला नगरेकोले सम्बन्धित खाता संचालकलाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम सञ्चितकोषमा गर्नुपर्ने रु.....</p> | | | | २९५१५०.०० | |
| ३४. | <p>पेशकी(विगत) : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ७४ अनुसार पेशकी फछ्यौट हुनुपर्दछ । गंगादेव गाउँपालिका अन्तर्गत साविक गाउँ विकास समितिको कार्यालयका निम्न व्यक्तिहरुलाई विगत वर्ष देखि पेशकी दिएको रकम हालसम्म फछ्यौट नभएकोले नियमानुसार असुल फछ्यौट गर्नुपर्ने रु...</p> | | | | ४४९४९७२.०० | |
| | क्र.स | पेशकी लिएको मिति | आ.व | पेशकी लिने व्यक्ति , फर्म वा संस्था | विवरण | रकम |
| | साविक पाखापानी गाउँ विकास समिति तर्फ | | | | | |
| | १ | ०७४३।२६ | २०७३।७४ | चन्द्र बहादुर बली | नसरी वीज विरवा खरिद | २४५४९२।०० |
| | साविक पाखापानी गाउँ विकास समिति तर्फ: | | | | | |
| | २ | | ०७३।०७४ | ने.रा.मा.वि सिमखोला | तलव | १५५६००.० |
| | ३ | | ०७३।०७४ | ने.रा.मा.वि सिमखोला | कार्यक्रम | २५००००.० |
| | ४ | | ०७३।०७४ | चन्दी बुढा | कार्यक्रम | ४९५४९.०० |
| | साविक ओत गाउँ विकास समिति तर्फ: | | | | | |
| | ५ | | ०७३।०७४ | भागीराम पुन | घो.वा निर्माण | २००००.० |
| | ६ | | ०७३।०७४ | भक्त बहादुर घर्ती | घो.वा निर्माण | २००००.० |
| | ७ | | ०७३।०७४ | तिलकराम घर्ती | घो.वा निर्माण | ३५०००.० |
| | ८ | | ०७३।०७४ | डिल बहादुर बली | घो.वा निर्माण | २८७९७०.० |
| | ९ | | ०७३।०७४ | दलित सामुदायीक विकास मञ्च | सशक्तिकरण | ३२०००.० |
| | १० | | ०७३।०७४ | हरी प्रसाद घर्ती | खेलकुद | ३००००.० |
| | ११ | | ०७३।०७४ | चन्द्र बहादुर बली | क्षमता विकास | ६९३९५.० |
| | साविक जिनाबाङ गाउँ विकास समिति तर्फ: | | | | | |
| | १२ | ०७४.३.३१ | ०७३।०७४ | खगेन्द्र जन प्रा.वि | बालबालिका कार्यक्रम | ४९९९३.० |
| | १३ | ०७४.३.३१ | ०७३।०७४ | सिर्जनशिल नव युवा प्रतिभा क्लव | महिला सीप विकास,फोपु र खा.पा.मर्मत | ९०६४३७.० |
| | १४ | ०७४.३.३१ | ०७३।०७४ | पातिहाला मो.वा.उ.स | मो.वा. निर्माण तथा मर्मत | ३०००००.० |
| | १५ | ०७४.३.३१ | ०७३।०७४ | शिवनाथ शर्मा | बोयर बोका खरीद | २५९८५०.० |
| | १६ | ०७४.३.३१ | ०७३।०७४ | भरत डाँगी | सिचाइ पोखरी निर्माण | १५९९१७.० |
| | १७ | | ०७३।०७४ | भरत डाँगी | कार्यक्रम | ४५०००.० |
| | १८ | | ०७३।०७४ | राम बहादुर पुन | मो.वा मर्मत | ५००००.० |
| | १९ | | ०७३।०७४ | राम बहादुर पुन | कार्यक्रम | ५०४००.० |

| | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
| २० | ०७३१०७४ | रातामाटा सामुदायीक वन | कार्यक्रम | ५००००.० |
| २१ | ०७३१०७४ | राम बहादुर पुन | कार्यक्रम | १०००००.० |
| २२ | ०७३१०७४ | राम बहादुर पुन | कार्यक्रम | १२१७००.० |
| २३ | ०७३१०७४ | भिम बहादुर वली | मन्दिर निर्माण | ५००००.० |
| साविक राँक गाउँ विकास समिति तर्फ: | | | | |
| २४ | ०७३१०७४ | राँक गाविस स्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ | पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम | ५७२२००.० |
| २५ | ०७३१०७४ | राँक स्वास्थ्य चौकी | बालविवाह न्युनिकरण | १०००००.० |
| २६ | ०७३१०७४ | दलित जनजागरण समूह | बाजा खरीद | २१४५७५.० |
| २७ | ०७३१०७४ | कल्पना वली | सिलाई कटाई | ११५०००.० |
| २८ | ०७३१०७४ | कुसल कामी | कार्यक्रम | ९५४७४.० |
| जम्मा | | | | |
| | | | | ४४११७२.०० |

आ.व.२०७३/७४ सम्मको को पेशकी सम्प्रीक्षणको लागि पेश भएकोमा पेशकी फछ्यौट गर्दा निम्न बमोजिम व्यहोरा देखिएको छ ।

३५. गंगादेव गाउँपालिका वडा नं ६ र ७ (साविक राँक गा.वि.सो)तर्फ :
 विल वेगर भुक्तानी : (१७, ०७४/३१२९) अधिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ मा कुनै रकमको भुक्तानी गर्दा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गा.वि.स स्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई युवा समितिलाई कार्यक्रम संचालन गर्न भुक्तानी दिएको रकमको बिल भर्पाई सहित कार्यक्रम संचालन गरेको प्रमाण पेश नभएकोले असुल गर्नुपर्ने र.....

३६. कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२५ अनुसार संभौतामा उल्लेखित अवधिभित्र कार्यसम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने ब्यबस्था छ । साविक राँक गा.वि.स कार्यालयबाट बाटो निर्माण कार्य तोकिएको समय भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्भौता भएकोमा सम्पन्न भएको छैन । गा.वि.समितिले तोकिएको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार नभएकोले असुल गर्नुपर्ने र....

३७. वित्तीय जवाफदेहिता : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०६४ एवं लगायतका प्रचलित कानून बमोजिम व्यवस्थापकीय, वित्तीय, सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण कार्यका सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने ब्यबस्था छ । तोकिएका सूचकका आधारमा परीक्षण गर्दा कार्यालयले ग्रेड "सी" प्राप्त गरेकोले व्यवस्थापकीय, वित्तीय, सेवा प्रवाह जस्ता सूचकमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएकोले कार्यालयले आवश्यक पहल गरी कार्य संचालन गर्नुपर्दछ ।

अद्यावधिक बेरजु स्थिति : गंगादेव गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी बेरजु स्थिति देहाय अनुसार रहेको छ :

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--|
| गत वर्षसम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी (रु.) | यो वर्ष थप कायम बेरजु रु. | बाँकी (आगामी वर्षलाई जिम्मेवारी सरेको) |
| ५७५३९०५.०० | ६६०६३९४.०० | १२३६०२९९.०० |

उल्लेखित ऐन बमोजिम फछ्यौट गर्न बाँकी सम्पूर्ण असुल फछ्यौट गरिनुपर्दछ ।